भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

फाइल संख्या.7-एनटी(72)/2014 दिनांक: 20 मार्च 2020

वर्ष 2020 का डीजीएस आदेश संख्या 04

विषय: (कोविड-19) महामारी के संबंध में नोवेल कोरोनावायरस से निपटने के लिए सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के लिए दिशा-निर्देश।

1. निदेशालय ने नोवेल कोरोनोवायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए डीजीएस आदेश संख्या 02, 2020, दिनांक 16.03.2020, डीजीएस आदेश संख्या 03, 2020, दिनांक 20.03.2020 और समुद्री परामर्श एमएस सूचना 02, 2020, दिनांक 28.01.2020, एमएस सूचना 03, 2020 दिनांक 04.02.2020 और एमएस सूचना 06, 2020, दिनांक 03.03.2020 (फ़ाइल संख्या. 7-एनटी (72)/2014) के निर्देश जारी किए हैं।
2. हाल के दिनों में बड़ी संख्या में कोविड-19 महामारी का प्रसार राष्ट्रों में एक अभूतपूर्व स्थिति है। रोग के प्रसार को धीमा करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए भारत सहित कई न्यायालयों द्वारा यात्रा परामर्श जारी किए गए हैं। हालांकि, पोत सेवाओं को चालू रखना आवश्यक है, ताकि ईंधन, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्यान्न आदि जैसे महत्वपूर्ण सामान और आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियां बाधित न हों। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता किए बिना समुद्र मार्ग द्वारा माल के प्रवाह को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि जहाजों और बंदरगाहों के संचालन को जारी रखा जाए। निम्नलिखित के अगले आदेश तक सभी हितधारकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

   सभी (पोत) जहाज

3. भारत में अपने पहले बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी पोत का स्वामी, पोत पर सवार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाएगा और बंदरगाह के संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों और पत्तन प्राधिकारियों को स्वास्थ्य की समुद्री घोषणा प्रस्तुत करेगा।
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के अनुलग्नक-8 के अनुसार स्वास्थ्य की समुद्री घोषणा का प्रारूप, जिसे खंड ए (2.1) में एफएएल कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा भी अपनाया गया है। मॉडल की प्रतिलिपि स्वास्थ्य की समुद्री घोषणा के साथ संलग्न है।
5. बंदरगाह पर पोत के आगमन से कम से कम 72 घंटे पहले स्वास्थ्य की समुद्री घोषणा को भेजा जाएगा। यदि प्रस्थान के अंतिम बंदरगाह से यात्रा की अवधि 72 घंटे से कम है, तो बंदरगाह से प्रस्थान पर स्वास्थ्य की समुद्री घोषणा को तुरंत बंदरगाह को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा बंदरगाह के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक जानकारी जैसे तापमान चार्ट, व्यक्तिगत स्वास्थ्य घोषणा आदि भी बंदरगाह के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार जहाज पॉट के स्वामी द्वारा प्रदान की जाएगी।

6. यदि जहाज के स्वामी को पता चलता है कि जहाज पर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित हो रहे है, तो आरोग्यता समुद्री नियमों के तहत इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और बंदरगाह को दी जाएगी।
7. यदि जहाज के स्वामी द्वारा दी गई स्वास्थ्य की घोषणा गलत पाई जाती है और पोत पर सवार व्यक्तियों के स्वास्थ्य की तथ्यात्मक स्थितियों को उजागर नहीं करती है, तो जहाज के स्वामी पर लागू कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। पोत के सभी एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि गलत घोषणा के लिए संभावित अभियोजन के संबंध में यह जानकारी भारतीय बंदरगाहों पर आने से पहले पोत को स्पष्ट रूप से सूचित की जाए।
8. जहाज पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के मामले में जहाज का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि संदिग्ध व्यक्ति जहाज के अस्पताल में या जहाज पर अन्य उपयुक्त स्थान पर आइसोलेट (अलगाव) हों। अन्य सभी व्यक्ति जो कि संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आये हैं, उन्हें भी जहाज के स्वामी द्वारा तय किए गए उपयुक्त स्थानों पर आइसोलेट (अलग) करके रखा जाएगा। जहाज का स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त दिशानिर्देश के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) और अन्य लागू व्यापार निकायों द्वारा कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए जारी मार्गदर्शन का अनुपालन हर समय किया जाए।
9. कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निगरानी में रखने और आवश्यक होने पर क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार संदिग्ध व्यक्ति से नमूने लिए जाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि नमूनों का परीक्षण सकारात्मक आता है, तो वह क्वारंटाइन में रहेगा और संक्रमित व्यक्ति (एस) के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति सहित जहाज को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रचलित प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज (कीटाणुशोधन) भी किया जाएगा।

10. चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी रोगी को निर्दिष्ट अस्पताल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परिवहन संचालन करेंगे।

10. पोत में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसके तहत कोविड-19 पीड़ित मृत व्यक्ति के निपटान के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मृत शरीर प्रबंधन के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

11. संक्रमित देशों के बंदरगाहों से आने वाले पोत की अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन के लिए पहचान की जाएगी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत के संक्रमित बंदरगाह से जाने के 14 दिनों से पहले या किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने के 14 दिनों के भीतर संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले जहाज पर सवार नाविकों को अतिरिक्त उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी जैसा कि अनुबंध 1 में दिया गया है। अद्यतन संक्रमित देशों की सूची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

13. चीन के किसी भी बंदरगाह से आने वाले पोत के लिए 14 दिनों की आवश्यक क्वारंटाइन अवधि अनिवार्य है।

14. कोयला-कोठरी (बंकरिंग) प्रयोजनों के लिए संक्रमित देशों के किसी भी बंदरगाह पर पोत के ठहराव को प्रस्थान के पोत बंदरगाह से 14 दिनों की गणना में नहीं गिना जाएगा।

15. संक्रमित पोर्ट से प्रस्थान के 14 दिनों के बाद भारतीय बंदरगाह पर आने वाले पोत को अनुलग्नक–1 में निर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

16. बंदरगाह जो अनुलग्नक–1 में निर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, उन जहाजों को पोत के लिए लंगर डालने (बर्थ) की अनुमति नहीं होगी जो कि संक्रमित देशों से 14 दिनों के भीतर आये हैं।

17. पायलट को सामान्य रूप से कोई भी पोत को तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि पोत को प्रेटिक प्रदान न की जाए। जहाज पर चढ़ने से पहले, जहाज का स्वामी पायलट इस बात की पुष्टि करेगा कि जहाज पर सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं और जहाज पर कोविड-19 द्वारा संक्रमित व्यक्तियों के संदिग्ध मामले नहीं हैं। पोत का स्वामी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी जिन क्षेत्रों से जहाज के पायलट के गुजरने की संभावना है, उन्हें आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार उचित रूप से कीटाणुरहित और साफ किया जाएगा और पोत बोर्ड के पायलट के समक्ष इसके बारे में पुष्टि की जाएगी।

18. सभी जहाजों कर्मियों की पायलट के साथ संपर्क की संभावना है इसलिए पायलट को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहने हुए होना चाहिए। इसके अलावा, ब्रिज टीम हर समय उपयुक्त पीपीई पहने हुए होगी, जबकि पायलट पोत पर है। पायलट भी उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहने हुए होगे।

अनुलग्नक–1

संक्रमित बंदरगाह से प्रस्थान के 14 दिनों के भीतर संक्रमित देशों के बंदरगाहों से आने वाले पोत या किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने के 14 दिनों के भीतर संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले जहाज पर नाविकों के आने के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा:

1. स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार प्री बर्थिंग प्रदान करेंगे।
2. ऐसे जहाजों की घाट की रस्सियों और पायलट सीढ़ी को साफ किया जाएगा।

3. पायलट को संपूर्ण शरीर सुरक्षात्मक (फुल बॉडी प्रोटेक्शन) सूट दिया जाएगा।
4. नौबंध/बांधने की जगह (मूरिंग बोट) और नौबंध समूह (मूरिंग गैंग) को यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त पीपीई प्रदान की जाएगी।

5. पोत मार्गिका (गैंगवे) को हर समय उठी हुई हालत में रखा जाए।

6. बंदरगाह प्राधिकारियों से विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को बोर्ड पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. कार्गो परिचालन के लिए पोत पर चढ़ने वाले सभी कर्मियों को सम्पूर्ण शरीर सुरक्षात्मक वस्त्र (फुल बॉडी प्रोटेक्शन सूट) पहनना होगा। इसके अलावा उपयोग किए गए पीपीई को उचित प्रोटोकॉल के अनुसार निपटाया जाएगा।

8. मालवाहक परिचालन में सहायता करने वाले पोत कर्मचारियों के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनना और कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

9. कार्गो परिचालन के पूरा होने के बाद पोत को साफ और कीटाणुरहित करना।